# राजस्थान सरकार वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ-75)डीटीए / IFMS 3.0/VMS/ ५५ उप-५ ६

दिनांक ०५ | ०३ | २५

### परिपत्र

वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु आई.एफ.एम.एस. 3.0 विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बजट, पेंशन (प्रथम भुगतान), केन्द्र प्रवर्तित योजना संचालन (SNA-SPARSH), Earned salary advance access कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई—भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाएं विकसित कर प्रारम्भ की जा चुकी है।

इन प्रक्रियाओं की निरन्तरता में तृतीय पक्षकार (Third Party)को किए जाने वाले भुगतानों में पारदर्शिता, शुद्धता एवं उपापन नियमों को ध्यान में रखते हुए आईएफएमएस 3.0 सिस्टम में वेन्डर मेनेजमेंट सिस्टम की शुरूआत की जानी हैं। वेन्डर प्रबंधन प्रणाली वेन्डर इंटरैक्शन को प्रबंधित करने एवं खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।

वेन्डर भुगतान प्रक्रिया आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वेन्डर का रिजस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। वेन्डर रिजस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिनांक 05.03.2025 से प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए दिशा निर्देश का विस्तृत विवरण परिशिष्ट—'क' पर उपलब्ध है। यूजर मैन्युअल भी सिस्टम पर उपलब्ध होगा।

आई.एफ.एम.एस. 3.0 में संयोजित होने वाली उक्त प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर दिया जायेगा। हेल्प डेस्क हेतु 0141— 2922782 एवं 2744402 पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं सुझाव ई—मेल आई.डी. employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किए जा सकते है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

## 7434-46

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक / सिविल लेखा परीक्षा / वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष।
- 4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
- 5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
- 6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
- 7. संयुक्त शासन संचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
- 8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
- 10. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
- 11. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
- 12. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
- 13. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (ट्रेजरी / वॉम) एल.आई.सी. भवन, जयपूर।

द्धिश्रा हि (भूपेश मार्थुर) संयुक्त शासन सचिव

#### **Vendor Registration**

Vendor management system provides a comprehensive platform to manage vendor interactions, streamline procurement processes and enhance transparency in public financial transactions.

This system ensures that vendor data is securely stored, procurement processes are streamlined, and payments are processed efficiently. It fosters accountability by integrating with financial system to ensure compliance with government procurement regulations.

- Vendor Registration
- Vendor Profile Management
- Upload and Track the Invoice
- Track the Payment Details
- Work Order Details

#### **Vendor Registration Process in IFMS 3.0**

Vendors can register in IFMS 3.0 either through the Self Service Portal or by visiting the concerned department. Below is the step-by-step guide for the registration process:

#### 1. Self-Service Registration:

- If the vendor has a valid SAN/PAN/GSTIN number or is an existing IFMS
  2.0 user, they can register directly through the Self-Service Portal.
- The SSO ID is mandatory to log in to the IFMS 3.0 Portal.

#### 2. Departmental Registration:

- o If the vendor does not have a SAN/PAN/GSTIN number, they must visit the nearest government department.
- The vendor needs to submit the application to the concerned person at the department to register them as a vendor along with the required documentation.

#### 3. Registration via SNA/PAN/GSTIN Number:

- Vendor opting to register using their SNA number will be required to provide their SNA number along with the registered mobile number. (For PAN / GSTIN, Vendor need to provide registration Date)
- The IFMS 3.0 Portal will validate the provided information. Once validated, the information will be auto populated in the registration form.

#### 4. Filling Missing Information:

- Vendors need to complete the registration form by filling in the missing details such as:
  - Last three years of Firm Turnover
  - Major Activity
  - Owner/Chairman/Key Person/Proprietor details
  - Authorized Person Details
  - Registration as a Vendor in the Works Department

#### 5. Submission and Vendor ID Generation:

- After completing the registration form with all required details, the vendor needs to submit the form.
- o Upon submission, the system will generate a Vendor ID for the vendor.

This streamlined process ensures a smooth and efficient vendor registration experience in IFMS 3.0.